

प्रेषक

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल,  
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक - 14.9.2018

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102 होमियोपैथी-0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड-20-2210051020001 मांग पत्र संख्या-20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों में कुल 4,46,35,500/- (चार करोड़ छेयालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल - 4,46,35,500/- (चार करोड़ छेयालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० -2561/वि०(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि० दिनांक 28.03.2018 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि० दिनांक-04.05.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102 होमियोपैथी-0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड-20-2210051020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध से की जायेगी।
4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर तथा नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ अपर सचिव, स्वास्थ्य होंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.2.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।
8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।
10. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार ही किया जायेगा।
11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात् ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।
12. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।
13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।
14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञाप सं०- ११ 'ब' (आ. वि.)

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी, /कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

12/9/18

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक - 14.9.2018

12/9/18

सरकार के विशेष सचिव

**0001 होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, वित्तीय वर्ष 2018-19**

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	40500000	20250000	20250000	40500000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	4500000	2250000	2250000	4500000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	4028000	2014000	2014000	4028000	0
4	परिवहन भत्ता	01 05	733000	366500	366500	733000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	624000	312000	312000	624000	0
6	अन्य भत्ता	01 07	11000	5500	5500	11000	0
	<b>योग (वेतन एवं भत्ता)</b>		<b>50396000</b>	<b>25198000</b>	<b>25198000</b>	<b>50396000</b>	<b>0</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	0	0	0	0	0
8	यात्रा व्यय	11 01	150000	75000	75000	150000	0
9	कार्यालय व्यय	13 01	1500000	750000	750000	1500000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख-रखाव	13 02	10000	5000	5000	10000	0
11	दूरभाष	13 03	10000	5000	5000	10000	0
12	विद्युत प्रभार	13 04	1000000	500000	500000	1000000	0
13	वर्दी पोशाक	13 06	40000	20000	20000	40000	0
14	किराया म0 एवं कर	14 01	300000	150000	150000	300000	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20 03	0	0	0	0	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	1000000	500000	500000	1000000	0
17	दवा भंडार	21 02	2000000	1000000	1000000	2000000	0
18	आहार एवं पथ्य	21 03	500000	250000	250000	500000	0
19	लघु कार्य	27 01	1000	500	500	1000	0
20	अनुसूक्षण एवं मरम्मत	27 02	5000000	2500000	2500000	5000000	0
21	सविदा सेवायें	28 02	21180000	10590000	10590000	21180000	0
22	छात्रवृत्ति / वजीफा	34 01	5184000	2592000	2592000	5184000	0
23	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1000000	500000	500000	1000000	0
	<b>योग</b>		<b>38875000</b>	<b>19437500</b>	<b>19437500</b>	<b>38875000</b>	<b>0</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>89271000</b>	<b>44635500</b>	<b>44635500</b>	<b>89271000</b>	<b>0</b>

(चार करोड़ छेयालीस लाख पैतीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र

*Qw718*

२२ 'ब' (आ.चि.)  
14.9.2018

सुस्कार के विशेष सचिव